आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

वाद संख्या–सी0आर0एम0–19/14–15

सच्चिदानंद तिवारी

बनाम

सरकार

आदेश

07.04.15

श्री सच्चिदानंद तिवारी पिता–महंथ तिवारी सा0–गुदगुदी थाना–डुमरी (गोर्वधना) प्रखंड–रामनगर जिला–पश्चिम चम्पारण द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 427 दिनांक 26.09.2014 के विरूद्ध यह अपील दायर किया गया है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता की अनुज्ञप्ति संख्या–39/07 को तत्कालीक प्रभाव से रदद् कर दिया गया है अपील आवेदन को अंगीकृत करते हुए मूल अभिलेख की मांग अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा से की गयी। मूल अभिलेख प्राप्त हुआ।

अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री सच्चिदानंद तिवारी द्वारा जुन–2014 के खाद्यान्न की कालाबजारी कर दी गयी है, जिस पर अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा अंचल अधिकारी, रामनगर से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिसमें अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित दिया गया है कि :–

1. जांच पदाधिकारी द्वारा विक्रेता के भंडार पंजी एवं वितरण पंजी की जांच की गयी। जांच के क्रम में भंडार पंजी में माह–जून–2014 के अन्त्योदय का खाद्यान्न दिनांक 12.08.2014 को 13.58 क्विं0 गेहूं एवं 20.37 क्वि0 चावल का उठाव अंकित होना तथा वितरण पंजी में वितरित किया हुआ पाया गया।
2. जांच पदाधिकारी द्वारा पी0एच0एच0 के भंडार पंजी के जांच के क्रम में दिनांक 12.08.2014 को 23.70 क्विं0 गेहूं 35.55 क्वि0 चावल का उठाव अंकित पाया गया। वितरण

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

पंजी में उक्त खाद्यान्न वितरित किया हुआ पाया गया। उपरोक्त दोनो खाद्यान्न का उठाव की सम्पुष्टि सहायक गोदाम प्रबंधक, रामनगर से की गयी, जो सही पाया गया।

3. जांच पदाधिकारी द्वारा उपस्थित उपभोक्ताओं का बयान लिया गया, जिसमें उपभोक्ता श्रीमति चैनी देवी के पति श्री चंचल राम सा0–चुडिहरवा राशन कार्ड संख्या–1100002, श्रीमति सविता देवी के पति–श्री दिलीप राम, राशन कार्ड संख्या–11000045, श्री शम्भू यादव, पिता–श्री महातम यादव राशन कार्ड संख्या–11000072, श्रीमति कृष्णावती देवी के पति श्री जग राम राशन कार्ड संख्या–11000040, श्रीमति सवरा खातुन पति–अलीसेन मिया राशन कार्ड संख्या–11000097 एवं श्रीमति किशोरी देवी पति श्री कमलेश साह राशन कार्ड संख्या–11000056 द्वारा बयान दिया गया है कि विक्रेता द्वारा अभी माह जून–2014 का खाद्यान्न उठाव नही हुआ है, यह कहकर उन्हें अभी तक खाद्यान्न की आपूर्ति नही की गयी है तथा विक्रेता द्वारा उन्हें निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न अधिक राशि लेकर आपूर्ति की जाती है। जांच पदाधिकारी द्वारा उपभोक्ताओं के राशन कार्ड का अवलोकन किया गया, जिसमें माह जून–2014 का राशन अंकित नही पाया गया। जांच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित कुछ उपभोक्ताओं द्वारा बताया गया कि माह–जुलाई–2014 का विक्रेता द्वारा खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है, परंतु उनके राशन कार्ड पर माह जून–2014 का भी खाद्यान्न अंकित कर दिया जा रहा है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि विक्रेता द्वारा सरकारी प्रावधान के अंतर्गत उपभोक्ताओं को सामग्रियॉ वितरित किया जा रहा है। और उनके द्वारा किसी प्रकार का गलत

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

कार्य नही किया जा रहा है। विक्रेता से स्पष्टीकरण भी नही पुछा गया है। इस प्रकार अपीलार्थी पर लगया गया आरोप बेबुनियाद एवं सत्य से परे है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2014 को खंडित कर अनुज्ञप्ति को मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक, बेतिया जन वितरण प्रणाली पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध तमाम कागजातो का अवलोकन किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अपीलकर्ता द्वारा माह जून–2014 का खाद्यान्न की कालाबाजारी कर दी गयी हैं उन्होने इसकी जांच अंचल अधिकारी, रामनगर से करायी। जांच पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है कि उन्होने भंडार पंजी एवं वितरण पंजी की जांच के क्रम में पाया कि भंडार पंजी में माह–जून–2014 अन्त्योदय के खाद्यान्न दिनांक 12.08.2014 को 13.58 क्वि0 गेहूं एवं 20.37 क्वि0 चावल का उठाव अंकित है तथा वितरण पंजी में उसे वितरित दिखाया गया हैं। जांच पदाधिकारी द्वारा पी0एच0एच0 के भंडार पंजी के जांच के क्रम में दिनांक 12.08.2014 को 23.70 क्वि0 गेहूं एवं 35.55 क्वि0 चावल का उठाव अंकित किया गया है। वितरण पंजी में उसे वितरित दिखाया गया है।

जांच पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कुछ उपभोक्ताओं का बयान लिया गया। जिन्होनें बताया कि विक्रेता द्वारा बताया गया कि माह जून–2014 के खाद्यान्न का उठाव नही किया गया है जिसके कारण उन्हें खाद्यान्न की आपूर्ति नही की गयी हैं कुछ उपभोक्ताओं द्वारा बताया गया कि माह–जुलाई–2014 का विक्रेता द्वारा खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है, परंतु राशन कार्ड पर माह–जून–2014 का खाद्यान्न अंकित किया जा रहा है, परंतु जांच पदाधिकारी द्वारा उपभोक्ताओं के राशन कार्ड का जांच करने के पश्चात प्रतिवेदित किया है कि राशन कार्ड में माह–जुन–2014 का

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

राशन अंकित नही था। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया गया है कि जांच पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं उपभोक्ताओं के बयान से स्पष्ट होता है कि विक्रेता द्वारा माह–जून–2014 का खाद्यान्न उठाव कर वितरण पंजी में उपभोक्ताओं का नाम अंकित कर गलत निशान वो हस्ताक्षर कर पंजी का संधारण किया गया है। उक्त अनियमितता के आधार पर अपीलकर्ता के अनुज्ञप्ति को तत्कालीक प्रभाव से रदद् कर दिया गया है। अनुज्ञप्ति को रदद् करने के पूर्व अपीलकर्ता से स्पष्टीकरण की भी मांग नही की गयी है।

अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश से स्पष्ट होता है कि उन्होनें जांच पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर अपीलकर्ता के अनुज्ञप्ति को रदद् किया है। परंतु जांच मे पायी गयी अनियमितताओं के बिन्दु पर संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेता से स्पष्टीकरण नही पूछा गया है। इस प्रकार जन वितरण प्रणाली के विक्रेता को अपना पक्ष रखने का युक्तियुक्त अवसर प्राप्त नही हुआ है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है तथा स्थापित नियम के प्रतिकूल है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के आदेश दिनांक 26.02.2014 को खंडित किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी– सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी, बगहा को आदेश दिया जाता है कि अपीलकर्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनका पक्ष सुनकर विधिवत् मुखर आदेश पारित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया
07/4/15

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया
07/4/15